

बिहार विधान—सभा वाद—वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

भाग —2

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

शनिवार, तिथि 20 सितम्बर, 1986 ई०

सरपराइज किया जायेगा । मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस संबंध में सूचना मुख्यमंत्री को मिल चुकी है । और सरकार इस पर निर्णय लेने वाली है ।

(झ) पाटलीपुत्रा कोलनी में हत्या से उत्तेजना :

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पाटलीपुत्रा टाइम्स और हिन्दुस्तान 20 सितम्बर 86 के मुख्य पृष्ठ पर छपे पाटलीपुत्रा कालोनी में हत्या उत्तेजित जनता द्वारा पथराव को आपने देखा होगा । श्री कृष्ण महतो ने अपने मकान मालिक से अपना बकाया वेतन माँगने पर जाने से हाथ धो लिया । श्री महतो के शव को देख कर मोहल्ले के लोग उत्तेजित हो गये और मालिक के घर को घेर लिया एवं पथराव शुरू कर दिया । अन्त में पुलिस को मकान मालिक श्री मल्लिक को अपने संरक्षण में लेना पड़ा । मोहल्ले में जबरदस्त उत्तेजना है । अतः सरकार का ध्यान इस घटना की ओर दिलाता हूँ ।

(ज) वन-प्राणी के हत्यारे पर कार्रवाई :

श्री सत्यदेव नारायण आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं राजगीर (नालंदा) जंगल में दिनांक 4.9.86 को शिकारियों ने राजगीर थाना में पदस्थापित वशिष्ठ नारायण सिंह एस०एस०आई० एवं वीरेन्द्र कुमार थाना प्रभारी के मेल से दो वन प्राणी नील गाय की हत्या कर लाये और कुण्ड के पास लाकर चीर फाड़ कर रहे थे । खबर मिलते ही श्री राम नारायण झा रेन्जर घटना स्थल पर आये और थाना में केस करने गये । पुलिस केस लेने से इन्कार किया। छात्र नेता उमराव यादव एवं जनता ने आवाज बुलंद किया, तब

भारतीय वन प्राणी संरक्षण धारा 39/50-1/1972-73 के अन्तर्गत से लिया गया । इस मामले के लिये जनता में काफी आक्रोश है। सरकार वशिष्ठ नारायण सिंह एस०एस०आई० तथा थाना प्रभारी को अविलंब स्थानान्तरित कर मुअत्तल कर मामले की जाँच करावे एवं राजगीर जंगल तथा वन प्राणी की रक्षा करे । अध्यक्ष महोदय, मृतक नील गाय, रेन्जर एवं जनता का फोटो भी मेरे पास है ।

श्री मृगेन्द्र पताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत ही गंभीर है । इस तरह नील गाय को मार कर कुण्ड के पास ले जाया गया और वहाँ अगर तनाव की स्थिति हो जाती तो क्या होता ? इस गंभीरता को देखते हुए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और उस थानेदार को मुअत्तल करना चाहिये । हमारे पास उस नील गाय की तसवीर है । जिसको मार करके चमड़ा छिला जा रहा है ।

अध्यक्ष : यह प्रश्न उत्तेजनाजनक है । इसको दिखवा लिया जाय कि क्या बात है और उचित कार्रवाई कीजिये ।

(ट) अवैतनिक अध्यक्ष पर कार्रवाई :

श्री बच्चा चौबे : अध्यक्ष महोदय, फतुहा-फुलवारीशरीफ ग्राम्य विद्युत सहकारी समिति लि० मीठापुर पटना के अवैतनिक अध्यक्ष अनियमित ढंग से सीमा से बाहर जाकर कार्य करते हैं, अनियमित बहाली करते हैं, निजी प्रयोग हेतु भाड़े का मकान तथा गाड़ी व्यवहार करते हैं । अश्विनी कुमार कनीय विद्युत अभियंता के भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं सरकार कमिटी को सुपरसीड करे ।